कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

लखनऊ,दिनांक– 14 नवम्बर, 2014

संख्या–एम0ई0–1/क/2014/3613.

:::: निविदा सूचना ::::

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, राजकीय मेडिकल कालेजों एवं उससे सम्बद्ध चिकित्सा संस्थानों में दवा की दुकानें खोले जाने हेतु निविदा आमंत्रित करतें हैं। उक्त दवा की दुकानें मरीजों को केवल राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सकों के वैध पर्चो पर अंकित दवाईयॉ, शल्य चिकित्सा तथा इम्प्लांट आर्थोटिक एण्ड प्रोस्थेटिक में प्रयोग होने वाले उपकरणों आदि को अनुमोदित दरों पर छूट देते हुए सातों दिन चौबीस घण्टे (24 X 7) दिन–रात अपनी सेवायें प्रदान करेगीं।

निविदा सम्बन्धी समस्त सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 की बेवसाईट www. updgme.in पर उपलब्ध है। निविदा की धनराशि पे आर्डर/बैंक ड्राफ्ट निविदा फार्म के साथ "महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ" के पक्ष में देय होगी। निविदादाता की निम्न अर्हताएं होनी चाहिए : –

1– निविदादाता (केमिस्ट) के पास निविदा खुलने की तारीख तक समस्त आवश्यक एलोपैथिक दवाईयों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत औषधि नियंत्रक द्वारा औषधि एवं सौदर्य प्रसाधन अधिनियम–1940 (Drug & Cosmetics Act-1940) के अन्तर्गत जारी पॉच साल पुराना उचित लाईसेन्स निर्धारित प्रारूप पर होना आवश्यक है।

2– निविदादाता राज्य औषधि नियंत्रक द्वारा न तो दण्डित किया गया हो और न ही औषधि एवं सौदर्य प्रसाधन अधिनियम के अन्तर्गत कोई वाद लम्बित हो।

3– निविदादाता (केमिस्ट) के पास विभिन्न ख्याति प्राप्त चिकित्सा संस्थानों/अस्पतालों में औषधि के साथ–साथ सर्जरी आदि में उपयोग होने वाली वस्तुओं के विक्रय एवं वितरण का पॉच वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।

4– वेट पंजीकरण प्रमाण पत्र निविदा के साथ उपलब्ध होना चाहिए।

5– निविदादाता की फर्म को टिन नं0 का भी आवंटन होना चाहिए।

निविदादाता/केमिस्टों से प्राप्त किसी आवेदन पत्र/समस्त आवेदन पत्रों को बिना किसी कारण के निरस्त करने का पूर्ण अधिकार महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के पास निहित होगा।

निविदा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ–226001 के कार्यालय में जमा करने की **अन्तिम तिथि 15 जनवरी, 2015 सांय 4.00** है।

ह0 **(महानिदेशक)**